

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

स्मरण पत्र-4

**URGENT**

एफ 27(36)ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/बीएसआर/प्रगति/2015-16 जयपुर, दिनांक 10 अप्रैल, 2019

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,  
जिला दर निर्णायक समिति,  
जिला परिषद, अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर,  
बीकानेर, भरतपुर, दौसा, डुंगरपुर,  
श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं झुझुनु।

विषय:- वर्ष 2019-20 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.01.19, 22.02.19, 13.03.19 एवं 29.03.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृपया ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2019-20 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित कर पंचायत समितिवार बीएसआर तैयार कर दिनांक 01.04.2019 से लागू/प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक (09.04.2019) 295 पंचायत समितियों में से मात्र 199 पंचायत समितियों की बीएसआर प्रभावी की जा चुकी है। एक जिला यथा भरतपुर जिले में कार्यवाही अभी भी प्रारम्भ ही नहीं की एवं 9 जिलों (यथा अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं झुझुनु) द्वारा 86 पंचायत समिति की बीएसआर बेसिक दरे प्रस्तावित है, जिनका जिला स्तर से अनुमोदन/प्रभावी कराया जाना अभी भी शेष है।

उपरोक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त जिलों द्वारा विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायत समितियों की बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रस्तावित कराकर एवं जिला दर निर्णायक समिति से अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) अविलंब प्रभावी कराया जाना सुनिश्चित करावे।




(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं झुझुनु।
4. अधि. अभि. (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद अलवर, बांसवाडा, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, दौसा, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं झुझुनु।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

**BSR Approval Status as on 09/04/2019**  
**for FY : 2019-2020**

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. Propose कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. प्रभावी कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बार बी.एस.आर. प्रभावी करने वाली पंचायत समितियों की संख्या	Remarks
1	2	3	5	6	7	
1	भजमेर	9		9		
2	अलवर	14	14			
3	वासवाडा	11	11			
4	बारां	7		7		
5	वाडमेर	17	17			
6	भरतपुर	10				
7	भीलवाडा	12		12		
8	बीकानेर	7	7			
9	बन्दी	5		5		
10	चित्तौडगढ़	11		11		
11	चुरू	7		7		
12	दौसा	6	6			
13	धौलपुर	5		5		
14	इंजरपुर	10	10			
15	गगानगर	9	9			
16	हनुमानगढ़	7		7		
17	जयपुर	15		14		
18	जैसलमेर	3	3			
19	जालोर	8		8		
20	झालावाड	8		8		
21	झुझुन	8	8			
22	जोधपुर	16		16		
23	करीली	6		6		
24	कोटा	5		5		
25	नागौर	14		14		
26	पाली	10		10		
27	प्रतापगढ़	5		5		
28	राजसमन्द	7		7		
29	सवाई माधोपुर	6		6		
30	सीकर	9		9		
31	सिरोही	5		5		
32	टोंक	6		6		
33	उदयपुर	17		17		
	<b>Total</b>	<b>295</b>	<b>86</b>	<b>199</b>		